/ 1243010A
O/o CE (EITC)
Receipt No. ....
Date ...24 JUL 2017
DGM (IT) / SE (O)
EE. Billing / web
Section ....
Urgent
24/7

CSPDCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लिमिटेड
(A Government of Chhattisgarh Undertaking) &
(A Successor Company of CSEB)
CIN-U40108CT2003SGC015822
OFFICE OF CHIEF ENGINEER (RA&PM) CSPDCL, RAIPUR
PHONE No. (0771)-2574441 FAX No.(0771)- 2574442
Website: www.cspdcl.co.in E-mail ID: cecomcseb@rediff.com

क्र. 02–02/अ.मु.अभि./राजस्व 1293 रायपुर, दिनांक 24.07.17

प्रति,

कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता
(इ.आई.टी.सी./रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/राजनांन्दगांव
/जगदलपुर/अंबिकापुर)
(रा.क्षे./बि.क्षे./दु.क्षे./राज.क्षे./ज.क्षे./अं.क्षे.)
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

विषयः राज्य शासन द्वारा विशेष पैकेज के अंतर्गत विद्युत शुल्क में दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 की कालावधि में दी गई छूट के संबंध में।

संदर्भः विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 1555/एफ 29/01/2016/13/2 ऊ.वि. नया रायपुर, दिनांक 15.06.2017.

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आदेश के माध्यम से राज्य शासन द्वारा विशेष पैकेज के तहत उद्योगों के विद्युत शुल्क में वर्ष 2016–17 हेतु दी गई रियायत को 1 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 की कालावधि हेतु लोकहित में बढ़ाया गया है।

आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

अति. मुख्य अभियंता
(नियामक कार्य एवं ऊर्जा प्रबंधन)
छ.रा.वि.वित.कं.मर्या.,रायपुर

प्रतिलिपिः–

01. निदेशक (संचा./संधा.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर।

Director (D. & R. A.) CSPDCL RAIPUR Letter Receipt No. 245 Date 30.06.17

M.D. : CSPDCL : RAIPUR Letter Receipt No. 1022 Date 27 JUN 2017

छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 15-06-2017

क्रमांकः 1555/एफ 29/01/2016/13/2/ऊ0वि0: यतः राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक या आर्थिक क्षेत्र मे व्याप्त मंदी के कारण राज्य मे संचालित उद्योगों के, बंद होने के स्थिति में, इन उद्योगो मे कार्यरत श्रमिको के बडी संख्य में बेरोजगार होने की संभावना तथा राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पैकेज के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक की कालावधि में लागू विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को लोक हित में बढ़ाया जाना आवश्यक एवं समीचीन है। अतः राज्य शासन विद्युत शुल्क में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितंबर, 2017 की कालावधि हेतु निम्नानुसार छूट प्रदान करता है :–

(i) ऐसे उद्योग यथा 20 एम.व्ही.ए. तक के सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, फैरो एलॉयज, स्टील कॉस्टिंग, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग जिसमें सम्मिलित है सभी विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म तथा एग्रीकल्चर एलाईड और अन्य कनेक्शन जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी या अन्य लायसेन्सी से विद्युत प्राप्त करते है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की दर 6 (छः) प्रतिशत से 3 (तीन) प्रतिशत किया जाए।

(ii) राज्य में 2 मिलियन टन से कम क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्टील इकाई में कर रहे है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की दर 15 (पंद्रह) प्रतिशत को 3 (तीन) प्रतिशत किया जाए।

(iii) राज्य में 2 मिलियन टन से कम क्षमता वाले स्टील उद्योग के अंतर्गत स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के ऑक्जलरी खपत पर वर्तमान विद्युत शुल्क की 15 (पंद्रह) प्रतिशत दर को 6 (छः) प्रतिशत किया जाए।

(iv) राज्य में 2 मिलियन टन से अधिक क्षमता वाले ऐसे स्टील उद्योग जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं के स्टील इकाई मे करते है, हेतु वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क की 15 (पंद्रह) प्रतिशत दर को 12 (बारह) प्रतिशत किया जाए।

C.E. (R.A.& P.M.) CSPDCL, Raipur Letter Receipt No. 2514 Date 30.6.17

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/6/17
(एम0एस0 रत्नम्)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग

पृ0क्रमांकः 1556/एफ 29/01/2016/13/2/ऊ0वि0 नया रायपुर दिनांक 15-06-2017

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, मा0 मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
2. निज सहायक, मा0 मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, नया रायपुर।
3. निज सहायक, मा0 संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, नया रायपुर।
4. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर।
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नया रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, नया रायपुर।
8. मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
9. प्रबंध संचालक, छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी, डंगनिया, रायपुर।

--- की ओर सूचनार्थ ।

10. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ शासन, राजनांदगांव की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशन कर प्रकाशित 100 प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध सहित।

15/6/17

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग